महिलाओं के लिये विधिक सहायता क्लीनिक

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से एक **विधिक सहायता क्लीनिक** शुरू किया है।

विधिक सहायता क्लीनिक:

- यह महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देकर उनकी शिकायतों के समाधान के लिये सिंगल विंडो सुविधा है।
- NCW अन्य राज्य महिला आयोगों में भी इसी तरह के विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- नए विधिक सहायता क्लीनिक के तहत शिकायतकर्त्ताओं को परामर्श प्रदान किया जाएगा, संकट में महिलाओं को**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण** **(NALSA)/DSLSA** की विभिन्न योजनाओं पर कानूनी सहायता, सलाह और जानकारी दी जाएगी एवं महिला जनसुनवाई संबंधी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, वैवाहिक मामलों में सुनवाई और आयोग के साथ पंजीकृत अन्य शिकायतों में अन्य सेवाओं में सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग:

- **परिचय:**
  - इसे **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत **जनवरी 1992** में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
  - इसका उद्देश्य उपयुक्त नीति निर्माण, विधायी उपायों आदि के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता व समान भागीदारी हेतु उचित कार्य करना है
- **कार्य:**
  - महिलाओं के **संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा** करना।
  - उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
  - शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना।
  - महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/legal-aid-clinic-for-women